

बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 89 /09-10

प्रतिवेदन की कंडिका संख्या -1 परिचयात्मक

(1) अंकेक्षित लेखा का नाम:- जिला भविष्य निधि कार्यालय, मुजफ्फरपुर

(2) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि:- वर्ष 2006-07 से 07-08

(3) प्रशासी विभाग का नाम:- वित्त विभाग, बिहार पटना।

(4) अंकेक्षण अवधि के निकासी पदाधिकारी का नाम पदनाम और

कार्यकाल:-

(1) श्री मदन प्रसाद, निदेशक (भ0नि0)

(5) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम

पदनाम तथा कार्यकाल:-

(1) श्री मति विमला कुमारी ,जि0भ0नि0पदाधिकारी दिनांक 01.4.06

से 07.8.07 तक

(2) श्री आलोक कुमार, जि0भ0नि0पदाधिकारी दिनांक 07.8.07 से

31.3.08 तक

(3) श्री मुन्ना राम , लिपिक दिनांक 01.4.06 से 31.5.07 तक

(4) श्री जगदीश नारायण सिंह लेखापाल दिनांक 1.6.07 से 11.8.

08 तक

(6) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम

पदनाम:- श्री तपेश्वर पासवान, प्रधान लिपिक

(7) अंकेक्षकों के नाम :- (1) राम नाथ रजक व0अ0 1

(2) वनारसी प्रसाद यादव व0अं0 2

(8) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :-04.06.09

(9) अंकेक्षण समापन तिथि :-30.6.09

(10) अंकेक्षण में व्यतित कार्य दिवस :- 15 दिन

(11) अंकेक्षण में प्रस्तुत / अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :- परिशिष्ट (क) पर की गई है ।

(12) अंकेक्षण का क्षेत्र :- जिला भविष्य निधि कार्यालय, मुजफ्फरपुर के लेखा का अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना के ज्ञांपाक सं0-3286 दिनांक-15.09.1960 के आलोक में अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया कोषागार से निकासी की गयी राशियों का सत्यापन कोषागार अभिलेख से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया ।

(13) वित्तीय समीक्षा :- अंकेक्षण अवधि का आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट (ख) पर दी गई है ।

(14) भौतिक सत्यापन :- अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 04.06.09 को अंकेक्षण के समक्ष कराये गये रोकड़ पंजी के नगद राशि (शून्य) था । रोकड़ पुस्त के संवरण शेष शून्य था ।

(ii) अंकेक्षणागर्त लेखावधि के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की विवरणी :-

दिनांक

संवरण शेष की राशि

(1)	31.03.2006	10,140.00
(2)	31.03.2007	4,126.00
(3)	31.03.2008	शून्य

**(iii) कार्यालय में स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कर्मियों की विवरणी :-**

क्रम सं०	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अभ्युक्ति
1	जि०भ०नि०प०	-	1	-
2	लिपिक	-	16	वर्ष 06-07
			15	वर्ष 07-08

नोट :- इस कार्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या निर्धारित नहीं पाई गई ।

(2) रुपया 75.60 में वैट का भति अधिक भुगतान:- लेखा वर्ष 2007-08 के कार्यालय व्यय मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि ओम इन्टर प्राईजेज मुजफ्फरपुर को विपत्र सं० 46/07-08 के अन्तर्गत अभिश्रव संख्या -150/07-08 द्वारा विभागीय पुस्तकों के क्रय में कुल रुपया 210.00 का किताब क्रय कर उसपर देय वैट की राशि रुपया-84.00 का कुल रुपया 294.00 भुगतान दिनांक 11.03.08 को किया गया था । जबकि वैट की निर्धारित दर 4% प्रतिशत है । जिसके अनुसार वैट मद में रुपया 8.40 का ही भुगतान किया जाना चाहिए था । अधिक भुगतान राशि 84.00-8.00रु०-75=60 की क्षति हुई ।

अतः क्षति की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय ।

(3) रुपया 35.00 महँगाई भत्ता मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006-07 से 2007-08 की जाँच में पाया गया कि जनवरी 2006 से अप्रील 2006 तक (कुल चार माह) के वकाया महँगाई भत्ता की राशि रु० 35.00 अधिक भुगतान किया गया था । अधिक भुगतान की राशि

सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली कर कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को सूचित किया गया ।

विवरणी इस प्रकार है,

क्र०सं०	वि०सं० वर्ष भु० तिथि	क० का नाम	अवधि	देय राशि	पूर्व में प्राप्त राशि	अन्तर देय राशि	वा०भु० की गयी राशि	चार माह में अधिक भु० राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10/06/ 07- 07/07	श्री राजेश पाण्डेय	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	4
2.	10/06/ 07- 07/07	मो० अब्दुल रसीद	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	3
3.	10/06/ 07- 07/07	श्री तापेश्वर पासवान	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	4
4.	10/06/ 07- 07/07	श्री विन्देश्वर ी सिन्ह	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	4
5.	10/06/ 07-	श्री महेन्द्र	01/01/ 06- से	2268	1885	283	284	4

	07/07	प्रसाद साही	30/04 /06					
6.	10/06/ 07- 07/07	श्री विष्णुमव र कुमार	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	4
7	10/06/ 07- 07/07	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	01/01/ 06- से 30/04 /06	2268	1885	283	284	4
8	10/06/ 07- 07/07	श्री जवहार बैठा	01/01/ 06- से 30/04 /0	2196	1922	274	275	4
9	10/06/ 07- 07/07	श्री राजीव कुमार	01/01/ 06- से 30/04 /06	1692	1481	211	211	4

## भाग -2

(4) रुपया 10,140.00 का नियमानु कुल व्यय नहीं किया जाना :- रोकड़ पंजी के वर्ष 2006-07 के जाँच में पाया गया कि रुपया -10140.00 वर्ष 2005-06 का कार्यालय व्यय मद की राशि थी । जिसे वित्तीय वर्ष 2005-06 में जमा नहीं किया गया था जो वर्ष 2006-07 में व्यय किया गया था । जो नियमानुसार अचित नहीं हैं । बिहार कोषागार नियमावली भाग -1 के नियम

300 के अनुसार आवश्यकता से अधिक एवं समय से पूर्व राशि की निकासी या वजट में प्रावधान राशि के लैप्स से बचने के लिए की गयी निकासी अनियमित है । तथा इस पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है भविष्य में इस नियम का पालन किया जाय। वर्ष के अन्त में अवशेष राशि को निश्चित रूप से कोषागार में जमा किया जाना चाहिए ।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना का सूचित किया जाय ।

### **(5) रोकड़ पंजी एवं विपत्र पंजी का संधारण उचित तरीके से नहीं किया**

**जाना:-** लेखा वर्ष 2006-07 से 2007-08 के रोकड़ पंजी एवं विपत्र पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इनका संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था ।

रोकड़ वहीं को दिन प्रतिदिन लिखना तथा अद्यतन रखना चाहिए इसमें सभी प्रकार के लेन-देन को सही तरीके से प्रवृष्ट करना चाहिए तथा प्रत्येक माह के अन्त में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संवरण शेष राशि का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए । ये सभी प्रावधान बिहार कोषागार संहिता है । जिसका पालन सर्वथा अपेक्षित है । इसी प्रकार विपत्र पंजी का संधारण में भी सभी कॉलम भरे नहीं पाये गये । निकासी की तिथि एवं रोकड़ पुस्त में दर्ज करने की तिथि अंकित नहीं पायी गई । नियम 289(5) के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विशेष जबाबदेही है भविष्य में नियम का पालन किया जाय । प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय ।

मिलान एवं जॉच कर्ता का ह0

लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

1.

बिहार पटना

2.

परिशिष्ट (क) के कंडिका सं० 11 से सम्बन्धित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(1) प्रस्तुत अभिलेख :-

- (1) विपत्र पंजी वर्ष 2006-007 से 2007-08
- (2) रोकड़ पंजी वर्ष 2006-007 से 2007-08
- (3) वेतन भु०पंजी 2006-007 से 2007-08
- (4) यात्रा भत्ता भु०प० 2006-007 से 2007-08
- (5) यात्रा भत्ता विपत्र के कार्यालय प्रति 2006-007 से 2007-08
- (6) अकास्मिकता व्यय पंजी वर्ष 2006-007 से 2007-08
- (7) अकास्मिकता अभिश्रव रक्षी पंजी 2006-007 से 2007-08
- (8) जेनेरेटर लॉग बुक
- (9) शासकीय डाक टिकट पंजी
- (10) सेवा पुस्त

(2) अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

परिशिष्ट (ख) के कंडिका सं० - 13 से सम्बन्धित

आवंटन एवं व्यय की वार्षिक विवरणी वर्ष 2006-07

क्र०	मद का नाम	आवंटन की राशि	व्यय की राशि	आवंटन से अ० राशि	वचत	प्रत्यापण
1	कर्मचारी का वेतन	13,38,900.00	11,41,355.0	-	197545.00	197545.00

2	मॅहगाई वेतन	4,29,600.00	5,33,326.00	1,03,726.00	-	-
3	मकान किराया	1,42,800.00	1,29,695.00	-	13,105.00	13,105.00
4	चिकित्सा भत्ता	19,600.00	20,130.00	530.00	-	-
5	जीवनयापन भत्ता	8,30,300.00	6,52,861.00	-	1,77,439. 00	1,77,439. 00
6	यात्रा भत्ता	10,000.00	9,935.00	-	65.00	65.00
7	कार्यालय व्यय	65,000.00	65,000.00	-	-	-
8	व्यवसायिक और विशेष से0	1,00,100.00	1,00,072.00	-	28.00	28.00

परिशिष्ट (ख) के कंडिका सं0 - 13 से सम्बन्धित

**आवंटन एवं व्यय की वार्षिक विवरणी वर्ष 2007-08**

क्र0	मद का नाम	आवंटन की राशि	व्यय की राशि	आवंटन से अ0 राशि	वचत	प्रत्यापर्ण
1	2	3	4	5	6	7
1	कर्मचारी का वेतन	13,43,600.00	12,53,877.00	-	89,723.00	89,723.00
2	मॅहगाई वेतन	6,02,400.00	5,65,449.00	-	36,951.00	354/31.3.08



3	मकान किराया	1,61,000.00	1,51,775.00	-	9,225.00	354/31.3.08
4	चिकित्सा भत्ता	19,600.00	18,600.00	-	1,000.00	-
5	अंतरिम सहा0	8,30,300.00	6,52,861.00	-	1,77,439.00	1,77,439.00
6	जीवनयापन भत्ता	7,45,700.00	7,77,160.00	31,460.00	-	-
7	कार्यालय व्यय	1,33,000.00	1,33,000.00	-	-	-
8	यात्रा भत्ता	10,000.00	10,000.00	-	-	-
9	व्यवसायिक एवं विशेष से0	1,63,610.00	1,62,211.00	-	1,399.00	-
10	विधुत	3,500.00	-	-	3,500.00	-
11	दूरभाष	1,000.00	-	-	1,000.00	354/31.3.08